Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need to ensure timely payment of pensions to old age persons, widows, destitutes and differently abled persons.

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह): अध्यक्ष जी, मेरा विषय सामाजिक सुरक्षा से संबंधित है। सामाजिक सुरक्षा, पेंशन को लेकर सरकार ने जो काम किए है, मैं उसके लिए प्रधान मंत्री जी को सामाजिक न्याय मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय को बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। हम संसद सदस्य के नाते 'दिशा' की बैठक लेने जाते हैं, क्षेत्र में प्रवास करने जाते है। मैं स्थायी समिति, रूरल डेवेलपमेंट का सदस्य भी हूं। जब हम शैक्षणिक प्रवास पर जाते हैं तो दो-तीन बहुत बड़ी ऐसी चीजें सामने आई हैं - खासकर निराश्रित वृद्ध, विकलांग और विधवा पेंशन। सरकार ने उन कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन एक हजार रुपए कर दी, जो वास्तव में सरकारी नौकरी करते-करते चले गए और उनके पास बहुत कम पैसा था, लेकिन ये चार ऐसी कैटेगरी हैं, जहां पर बैंक के कारण, कई बार बैंक के कार्ड के लिए कोई निराश्रित, वृद्ध और विकलांग कैसे जाएगा? मैंने अपने जिले में 80 प्रतिशत विक्लांगों को मोटर ट्राइ-साइकल देकर अपना काम कर दिया लेकिन उनकी संख्या 162 है। जो निराश्रित और वृद्ध हैं, वे तीन सौ रुपये और पांच सौ रुपये पेंशन के लिए दस-दस किलोमीटर दूर जाकर एक-एक दिन भटकते हैं। मैंने दो मॉडल देखें हैं। एक, अगर कोई क्वैश की मशीन जाती है तो अंगूठे काम नहीं करते हैं, उनको बिना पंचनामा के पैसा नहीं मिलता है और बैंक वाले उन्हें दिन-दिन भर बैठाते हैं।

मेरा आपके माध्यम से सरकार को दो सुझाव है कि ऐसे जो वृद्ध, निराश्रित और खासकर विकलांग हैं, उनको कम से कम यह सुविधा मिलनी चाहिए कि वहां का सरपंच पंचनामा बना कर वहां पर भुगतान करे। ऐसी दो एजेंसियां सबसे निकटम होती हैं, वह कॉपरेटिव सोसयटी होती है या फिर पोस्ट ऑफिस होती है, इस पर विचार करना चाहिए। दूसरा, चूंकि वृद्ध और निराश्रित को ऐसी आयु में दवा

और भोजन चाहिए। उनके लिए यह राशि बहुत कम है। 75 साल से ज्यादा की आयु वाले को 500 रुपया मिलता है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि यह राशि न्यूनतम 1000 रुपया होना चाहिए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्रीमती अंजू बाला, श्रीमती संतोष अहलावत, कुमारी शोभा कारान्दलाजे, श्री निशिकान्त दुबे, डॉ. किरिट पी. सोलंकी, श्री नारणभाई काछड़िया, श्री शिवकुमार उदासि, श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय, श्री शरद त्रिपाठी, श्री विनोद कुमार सोनकर, श्री लखन लाल साहू, प्रो. रिचर्ड हे, श्री बलभद्र माझी, डॉ. मनोज राजोरिया, श्रीमती ज्योति धुर्वे और श्रीमती मीनाक्षी लेखी को श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

Is Shri N. Kristappa there?

Not present.

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : श्री धर्मवीर जी, अब कहां चले गए।

उपस्थित नहीं।

…(<u>व्यवधान</u>)